न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–41/2015 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामदेवा पुत्र सोन्या जाति मीना निवासी जाडला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 – मृतक
   1/1. विक्रमसिंह मीना दत्तक पुत्र स्व0 श्री रामदेवा जाति मीना निवासी जाडला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट/प्रतिवादी/गैर सायल

बनाम

1. औंकी पत्नि रामजीलाल पुत्री सोन्या जाति मीना निवासी लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0/वादी/सायल

2. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर राज0 ।

.....तर0 रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक असल रेस्पो0

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.06.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 28.08.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायला/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 13, 17, 458, 459, 460, 06, 08, 462, ग्राम जाडला तहसील कठूमर में स्थित है । फुला सायला का दादा था जिसके दो पुत्र सोन्या व रामचन्दर थे । सोन्या व रामचन्दर दोनों ही फौत हो गये । सोन्या का एक पुत्र व चार पुत्रियां क्रमशः झूथी, सुगरी, औंकी व ग्यारसी पैदा हुई जिनमें से झूथी, सुगरी व ग्यारसी फौत हो गयी केवल एक पुत्री औंकी जीवित है । इस प्रकार सोन्या के एक पुत्र रामदेवा गैर सायल व एक पुत्री सायला जीवित है । उक्त विवादित आराजी सायला के दादा फूला की पैदाकर्दा आराजी है । फूला से उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा सोन्या को व 1/2 हिस्सा रामचन्दर को विरासत में प्राप्त हुआ है । सोन्या

के फौत हो जाने पर उक्त आराजी का 1/2 हिस्से में से आधा सायला को व आधा हिस्सा गैर सायल सं0 1 को विरासत में प्राप्त हुआ है । गैर सायल चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने राजस्व कर्मचारियों से व अधिकारीयान से मिलकर व साजबाज होकर अपने आपको मृतक सोन्या का अकेला पुत्र बताकर सोन्या के फौत हो जाने पर विवादित आराजी बाबत विरासत इन्तकाल अपने नाम चढ़वा लिया जबकि राजस्व कर्मचारियान व अधिकारियान को तो मृतक सोन्या के वारिस पुत्र पुत्रियों व विवादित आराजी बाबत मौका कब्जा की जांच कर आराजी ख0 नं0 13, 17, 458, 460, 06, 08 में सायला के 1/2 गैर सायल सं0 1 के 1/2 हिस्से व ख0 नं0 462 सायल के 1/4 हिस्से व गैर सायल सं0 1 के 1/4 हिस्से के नाम इन्तकाल दर्ज करना चाहिए था । ख0 नं0 462 तर0 प्रतिवादी सं0 1 के 1/2 हिस्से में दर्ज है । सायला विवादित आराजी में अपने हिस्से के मुताबिक काबिज रहकर काश्त कर रही है तथा मौके पर कब्जे काश्त में है । हाल राजस्व रेकार्ड गलत है । विरासत का इन्तकाल गैर सायल सं0 1 ने अकेले अपने नाम फैसल कराया है जो इन्तकाल शून्य, गलत व प्रभावहीन बेअसर व शून्य करार दिये जाने योग्य है । गैर सायल सं0 1 ने सायला को धमकी दी है कि मैं तेरे हिस्सें पर शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने दूंगा तथा जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करूंगा या फिर उक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन, बय, हिबा आदि द्वारा मुन्तकिल कर दूंगा जबकि गैर सायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है । गैर सायलान ने ऐसा कर दिया तो सायला को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति होना समभव नहीं है । अतः प्रार्ना पत्र स्वीकार कर गैर सायलान का ताफैसला दावा पाबन्द करने का निवेदन किया । प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 28.08.2015 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दि0 28.08.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि असल रेस्पो0 व अपीलांट मीना समाज के लोग है तथा मीना समाज में पुत्रियों को विरासत में कोई हक हिस्सा नहीं मिलता है । असल रेस्पो0 ने वाद/प्रार्थना पत्र बिला अधिकार व गलत प्रस्तुत किया है । असल रेस्पो0 विवादित आराजी को दादा फूला से विरासत में प्राप्त होना बताकर प्रार्थना पत्र लेकर आयी है, जो गलत है । विवादित आराजी पैतृक अथवा दादालाई की आराजी नहीं है अपितु अपीलांट/गैर सायल की स्वअर्जित सम्पति है । ऐसी स्थिति में विवादित आराजी में असल रेस्पो0 के कोई हक हकूक आयद नहीं होते हैं ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि असल रेस्पो0 विवादित आराजी की ना तो खातेदार काश्तकार है और ना ही मौके पर उसका कब्जा है । असल रेस्पो0 गैर वास्ता व गैर काबिज शख्स विवादित आराजी है । ऐसी स्थिति में कानूनन उसको अस्थाई निषेधाज्ञा का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है । अपीलांट विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार तथा मौके का वास्तविक काबिज काश्तकार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार व काबिज

काश्तकार के खिलाफ कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है । अस्थाई निषेधाज्ञ जारी करने से पूर्व तहत न्यायालय को प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं का अलग–अलग विवेचन व निस्तारण करना चाहिए था लेकिन तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं कर इन बिन्दुओं का बिना विवेचन व निस्तारण किये उक्त तीनों बिन्दुओं को असल रेस्पो0 के हक में मानकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है ।

इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2016 पेज 1437, आर.आर.डी. 2002 पेज 31, आर.आर.डी. 2007 पेज 470, आर.आर.डी. 2012 पेज 413, आर.आर.डी. 2006 पेज 464, आर.आर.टी. 2016 पेज 196, 1144, 1323, आर.आर.टी. 2015 पेज 633, आर.आर. डी. 2008 पेज 762, आर.बी.जे. 2011 पेज 637 व आर.बी.जे. 2005 पेज 239 पेश की ।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी को मृतक फूला व सोन्या की पैदाकर्दा व पैत्रिक आराजी है । विवादित आराजी में दोनों का आधा–आधा हिस्सा है । गैर सायल ने गलत तरीके पर इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवा लिया है । गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी को रहन, बय करना चाहता है । विवादित आराजी के बाबत दावे में साक्ष्य से तय होगा । विवादित आराजी पर सभी का कब्जा माना जावेगा क्योंकि यह पारिवारिक मामला है । इसलिए तहत न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली व अपील के तथ्यों एवं रेकार्ड का अवलोकन किया । कानूनी बिन्दुओं पर भी गौर किया ।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट व रेस्पो0 रिश्ते में भाई बहिन है तथा एस.टी. वर्ग से संबंधित है । अपीलांट अभिभाषक की कानूनी नजीरों के अनुसार एस.टी. वर्ग में पिता की मृत्यु के बाद विवाहित पुत्री का कोई हित/अधिकार नहीं होता है । अपीलांट वर्तमान में विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का विवेचन तथा प्रतिवादी/अपीलांट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से वादी/रेस्पो0 का कब्जे के संबंध में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं बनना पाया जाता है । रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध कब्जे के संबंध में जारी अस्थाई स्थगन आदेश कानून सम्मत नहीं होने से काबिल खारिजी के हैं । जहां तक एस.टी. वर्ग में विवाहित पुत्रियों कों कानूनन हक प्राप्त होता है या नहीं यह मूल वाद के निर्णय में तय होगा । इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का निर्णय दि0 28.08.2015 को कब्जे के संबंध में आंशिक निरस्त किया जाता है तथा आंशिक रूप से रेस्पो0 को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी वर्णित वाद पत्र के 1/2 हिस्से की आराजी को बय नहीं करें तथा 1/2 हिस्से की आराजी के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/6/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर